

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.16(3) चि.स्वा./ग्रुप-2/2017

जयपुर, दिनांक: 10.11.2017

जिला कलेक्टर,
जोधपुर, राजस्थान

विषय:- राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा सामूहिक इस्तीफे की घोषणा से उत्पन्न स्थिति में निजी चिकित्सालयों द्वारा चिकित्सकीय अत्यावश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने बाबत।


महोदय,

राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा वेतन, पदोन्नति व अन्य सेवा शर्तों के संबंध में पिछले कुछ समय से राज्य सरकार को ज्ञापन देकर इनमें सुधार की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार के स्तर पर इस संबंध में कई बैठकें हुई तथा सेवारत चिकित्सकों को राज्य सरकार ने उनकी मांगों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रगति से अवगत कराया है। सेवारत चिकित्सकों से सहानुभूति पूर्वक वार्ता करने के बावजूद भी सेवारत चिकित्सक सामूहिक रूप से दिनांक 06.11.2017 को इस्तीफे दिये जाने की घोषणा के साथ ही हड़ताल पर चले गये हैं।

प्रदेश के सेवारत चिकित्सकों के उक्त जन विरोधी कार्यक्रम से आमजन को राहत व चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए कई निजी चिकित्सक/चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज आगे आये हैं। इसी क्रम में निम्नलिखित निजी चिकित्सक/चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के द्वारा भी सेवारत चिकित्सकों की हड़ताल के दौरान मरीजों को ओपीडी परीक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की अपनी सहमति इस शर्त पर दी है कि मरीज अपने साथ राजकीय चिकित्सालय की ओपीडी पर्ची साथ में आवश्यक रूप से लावे जिससे रोगी को औषधि भी राजकीय चिकित्सालय से निःशुल्क प्राप्त हो सके:-

1. Ambika Hospital Saraswati Nagar Jodhpur.
2. Kamla Nehru Nagar Hospital, Pal Link Road, Jodhpur.
3. Goyal Hospital, Residency Road Jodhpur.
4. Shri Ram Hospital, Pal Road, Jodhpur.
5. Shri Ram Hospital, Paota, Jodhpur.
6. Shri Ram Hospital, Banar, Jodhpur.
7. Yash Aman Hospital, Lalsagar, Mandore, Jodhpur.
8. Shyam Nursing Home, Phalodi, Dist.-Jodhpur.
9. Jodhpur Multispeciality Hospital, Balesar, Dist.-Jodhpur.
10. Divya Hospital, Bhopalgarh, Dist.-Jodhpur.


राजकीय चिकित्सालयों में इस संबंध में होर्डिंग्स लगाकर उपरोक्त निजी चिकित्सक/चिकित्सालयों की जानकारी उपलब्ध कराकर इसका पर्याप्त प्रचार-प्रसार करायें ताकि मरीजों को इस सुविधा की जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही आप अपने स्तर पर भी अन्य प्राइवेट चिकित्सक/चिकित्सालयों से वार्ता कर उनसे सहयोग प्राप्त करें।


(वीनू गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक, एन. एच. एम.।
5. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
7. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राज.
8. समस्त संयुक्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
9. उपरोक्त निजी चिकित्सकों/चिकित्सालयों के प्रबन्धकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग के लिए सधन्यवाद प्रेषित है।
10. प्रभारी कन्ट्रोल रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
11. प्रभारी सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सभी संबंधित को ई-मेल करावें एवं विभाग की बेवसाईड पर तुरन्त अपलोड करावें।
12. निजी /रक्षित पत्रावली


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव